भारत निर्वाचन आयोग
Election Commission of India

दिव्यांगजन और वरिष्ठ नागरिकों के लिए
निर्वाचन को सुलभ बनाने हेतु

मतदाता मार्गदर्शिका

प्राक्कथन

भारत निर्वाचन आयोग को दिव्यांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) और वरिष्ठ नागरिकों के लिए मतदाता मार्गदर्शिका प्रस्तुत करने पर गर्व है। यह मार्गदर्शिका हमारी नवीनतम पहलों की परिणति है, जिसे दिव्यांगजन और वरिष्ठ नागरिक मतदाताओं के लिए उपलब्ध अधिकारों और सुविधाओं को स्पष्ट करने हेतु सोच-समझकर संकलित किया गया है, चाहे वे मतदान केन्द्रों पर मतदान करना चाहें या अपने घरों के एकान्त से। यह मार्गदर्शिका मतदाताओं को ज्ञान और संसाधनों के साथ सशक्त बनाने का प्रयास करती है, जो निर्वाचन प्रक्रिया में उनकी भागीदारी को जानकार, आरामदायक और सम्मानजनक बनाना सुनिश्चित करती है।

भारत निर्वाचन आयोग यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि प्रत्येक मतदाता की मतदाता सूची से मतदान तक की यात्रा उतनी ही सहज हो जितनी की यह महत्वपूर्ण है। आइये ! हम सब मिलकर लोकतंत्र के पर्व को उल्लास के साथ सबको सम्मिलित करते हुए प्रत्येक वोट की शक्ति में अटूट विश्वास के साथ मनायें ।

कोई भी मतदाता छूट न जाए

संवैधानिक और कानूनी प्रावधान

(क) संवैधानिक प्रावधान

अनुच्छेद 324

संविधान निर्वाचन आयोग को निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देशन, संचालन और निर्वाचक नामावली के रखरखाव की शक्तियां प्रदान करता है।

अनुच्छेद 325

कोई भी व्यक्ति धर्म, नस्ल, जाति या लिंग के आधार पर किसी विशेष निर्वाचक नामावली में शामिल होने या शामिल होने का दावा करने के लिये अपात्र नहीं होगा ।

अनुच्छेद 326

लोक सभा और राज्य विधान सभा के निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर आयोजित किये जायेंगे।

(ख) जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951

धारा 169 (1) केन्द्र सरकार को निर्वाचन आयोग से परामर्श करने के बाद, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, अधिनियम के अधीन नियम बनाने के लिए केंद्र सरकार को अधिकृत करती है। धारा 169 (2) (ग) निरक्षर मतदाताओं या शारीरिक और अन्य दिव्यांगता वाले मतदाताओं के मामले में मत डालने के तरीके को निर्धारित करने वाले नियम बनाने की शक्ति प्रदान करती है।

(ग) चुनाव आचरण नियमावली, 1961

नियम 25 और 27 जी किसी निरक्षर या शारीरिक रूप से अशक्त मतदाता को मत डालने में अनुरोध पर सहायता की अनुमति प्रदान करते हैं।

नियम 40, 49 एन और 49 पी (4) दृष्टिबाधित मतदाता को मतदान कक्ष में एक वयस्क साथी की सहायता लेने की अनुमति प्रदान करते हैं।

(घ) दिव्यांगजन अधिकार अधिनिमय, 2016

मतदान में सुगमता के संबंध में दिव्यांगजन अधिकार अधिनिमय 2016 की धारा 11 में कहा गया है कि भारत निर्वाचन आयोग यह सुनिश्चित करेगा कि सभी मतदान केन्द्र दिव्यांगजन के लिए सुगम हों और निर्वाचन प्रक्रिया से सम्बन्धित सभी सामग्री उनके लिए समझने योग्य और सुलभ हो ।

नामांकन प्रक्रिया

मतदान करने के लिए निर्वाचक को नामांकन फॉर्म भरकर नामांकन करना आवश्यक है। यदि पहले से ही नामांकित है, तो किसी को समय रहते यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उसका नाम मतदाता सूची में सही ढंग से दिखाई दे। कोई भी फॉर्म ऑनलाइन, ऑफलाइन या हाइब्रिड मोड में भर सकता है और स्थिति की जांच भी कर सकता है। दिव्यांग व्यक्ति प्रासंगिक फॉर्म में स्वयं को दिव्यांग निर्वाचक के रूप में चिह्नित कर सकता है जिससे मतदान के दिन कुछ सुविधाओं का वह हकदार बन सके।

1. सामान्य निर्वाचक के रूप में नामांकन के लिए व्यक्ति के मानदण्ड होने चाहिए –

2. एक निर्वाचक के रूप में नामांकन के लिए चार अर्हता तिथियाँ

अब एक व्यक्ति एक वर्ष में चार उपलब्ध कट-ऑफ तिथियों पर नए मतदाता के रूप में नामांकित हो सकता है।

3. अपना फॉर्म प्रकार चुनें

फॉर्म 6 : नए मतदाताओं के पंजीकरण के लिए

फॉर्म 6 ए : किसी विदेशी निर्वाचक द्वारा निर्वाचक नामावली में नाम शामिल करने हेतु

फॉर्म 7 : मौजूदा निर्वाचक नामावली में नाम शामिल करने / हटाने के प्रस्ताव पर आपत्ति हेतु

फॉर्म 8 : आवास परिवर्तन / मौजूदा निर्वाचक नामावली में प्रविष्टियों में संशोधन / ईपीआईसी के प्रतिस्थापन / दिव्यांगजन को चिन्हित करते हेतु

फॉर्म 6 बी : गैर-आधार आईडी के साथ निर्वाचक नामावली को आधार-ईपीआईसी से जोड़ने / प्रमाणीकरण के लिए (स्वैच्छिक आधार पर)

4. फॉर्म इसके माध्यम से भरे जा सकते हैं :

ऑनलाइन मोड

voters.eci.gov.in या मतदाता हेल्पलाइन 1950 अथवा सक्षम-ईसीआई ऐप पर जाएं ,फार्म भरें और जमा करें। संदर्भ आईडी का उपयोग करके आवेदन की स्थिति का पता लगाएं ।

ऑफलाइन मोड

फॉर्म निर्वाचक पंजीकरण अधिकारियों / सहायक निर्वाचक अधिकारियों और बूथ स्तर के अधिकारियों के कार्यालय में निःशुल्क उपलब्ध है। इन कार्यालयों में फॉर्म प्राप्त करने और प्रस्तुत करने में दिव्यांग मतदाताओं को प्राथमिकता दी जाएगी। आवेदन व्यक्तिगत रूप से या ईआरओ को संबोधित करते हुए डाक द्वारा भेजकर या बूथ स्तर के अधिकारी (बीएलओ) को सौंपकर दाखिल किया जा सकता है।

हाइब्रिड मोड

उपर्युक्त फॉर्म मतदाता सेवा पोर्टल से पीडीएफ प्रारूप में भी डाउनलोड किए जा सकते हैं। इसका एक प्रिंट-आउट भरकर ईआरओ / एईआरओ को जमा किया जा सकता है या बूथ स्तर के अधिकारी (बीएलओ) को सौंपा जा सकता है ।

5. स्वयं को दिव्यांग निर्वाचक के रूप में कैसे चिन्हित करें ?

नया निर्वाचक : फॉर्म 6 की पंक्ति 9 भरें (ऑनलाइन या ऑफलाइन प्रणाली से)

(9) दिव्यांगता की श्रेणी, यदि कोई हो (वैकल्पिक) ☐ चलन संबंधी ☐ दृष्टि ☐ गूंगा एवं बहरा
यदि कोई अन्य हो (विवरण दें) ____________
दिव्यांगता का प्रतिशत : ☐ %, संलग्न प्रमाणपत्र (उपयुक्त बॉक्स पर निशान लगाएं) हाँ ☐ नहीं ☐

मौजूदा निर्वाचक : फॉर्म 8 की पंक्ति 4 भरें (ऑनलाइन या ऑफलाइन प्रणाली से)

(4) दिव्यांगजन को चिन्हित करने हेतु आवेदन
दिव्यांगजन की श्रेणी (दिव्यांगता की श्रेणी के लिए उपयुक्त निशान लगाएं)
☐ चलन संबंधी ☐ दृष्टि ☐ गूंगा एवं बहरा ☐ यदि कोई अन्य हो (विवरण दें) ________
दिव्यांगता का प्रतिशत: ☐ % संलग्न प्रमाणपत्र (उपयुक्त बॉक्स पर निशान लगाएं) हाँ ☐ नहीं ☐

मतदान के दिन से पहले जानने योग्य बातें

अपने बीएलओ (बूथ स्तर के अधिकारी) को जानें

बूथ स्तर के अधिकारी (बीएलओ) प्रत्येक मतदान केन्द्र से सम्बन्धित निर्वाचक नामावली के हिस्से को अद्यतन रखने के लिए जिम्मेदार है। सूची की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए वे प्रत्येक घर का दौरा करते हैं । प्रत्येक मतदाता को सलाह दी जाती है कि वह सम्बन्धित बीएलओ जो आमतौर पर उस क्षेत्र का निवासी होता है, के संपर्क में रहें। एक निर्वाचक वोटर सर्विस पोर्टल, हेल्पलाइन एप और सक्षम - ईसीआई एप के माध्यम से अपने बीएलओ का विवरण जान सकता है।

अपना मतदान केन्द्र जानें

- मतदाता हेल्पलाइन ऐप के माधयम से
- सक्षम / ईसीआई ऐप के माध्यम से
- voters.eci.gov.in पर लॉगिन करें
- वोटर हेल्पलाइन नंबर 1950 के माधयम से

निर्वाचक नामावली में नाम ढूढें :

ईपीआईसी (मतदाता फोटो पहचान पत्र) रखना मतदान के लिए निश्चित पात्रता नहीं है। निर्वाचक नामावली में अपना नाम सुनिश्चित करना होगा। निर्वाचक नामावली की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए इसे अब वर्ष में चार बार अद्यतित किया जाता है। इसे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से चेक किया जा सकता है।

वोटर हेल्पलाइन ऐप - (एंड्राइड / आईओएस पर उपलब्ध)
मतदाता पोर्टल पर जाएं - https://voters.eci.gov.in
1950 पर एसएमएस करें : Eci < SPACE >< EPIC NO >
सक्षम-ईसीआई ऐप (एंड्राइड) / सक्षम-ईसीआईऐप (आईओएस)

वोट डालने से पहले अपने उम्मीदवार के बारे में जाने:

वोटर हेल्पलाईन ऐप के माध्यम से

चरण 1 : वोटर हेल्पलाइन ऐप को लॉगिन करें।
चरण 2 : उम्मीदवार सूचना विकल्प चुनें।
चरण 3 : निर्वाचन चुनें (आम चुनाव विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र / संसदीय निर्वाचन क्षेत्र)
चरण 4 : उम्मीदवार को चुनें।
चरण 5 : उम्मीदवार द्वारा दाखिल शपथ-पत्र पर क्लिक करें।

केवाईसी ऐप के माध्यम से

चरण 1 : केवाईसी ऐप को लॉगिन करें।
चरण 2 : निर्वाचन का प्रकार चुनें (आम चुनाव विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र / संसदीय निर्वाचन क्षेत्र)
चरण 3 : उम्मीदवार चुनें।
चरण 4 : उम्मीदवार द्वारा दाखिल शपथ-पत्र पर क्लिक करें।
चरण 5 : उम्मीदवार द्वारा दाखिल किए गए शपथ-पत्र और उसके आपराधिक इतिहास, यदि कोई हो, के बारे में सूचना प्राप्त करें।

मतदान का दिन

मतदान के दिन के लिए पहले से तैयार रहना चाहिए। निर्वाचक नामावली में अपना नाम जाँच लें और अपने मतदान केन्द्र की जाँच कर लें।

मतदाता सूचना पर्ची :

मतदाताओं को उनके मतदान केन्द्र में मतदाता सूची के क्रम संख्या, मतदान की तिथि, समय आदि जानने में सुविधा प्रदान करने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा सभी नामांकित मतदाताओं को मतदान की तिथि से कम से कम 5 दिन पहले बीएलओ द्वारा मतदाता सूचना पर्ची जारी की जाती है। इसमे क्यू आर कोड के साथ मतदान केन्द्र, तिथि, समय आदि जैसी जानकारी शामिल होती हैं, लेकिन मतदाता की फोटो नहीं होती है। यह पहचान के प्रमाण के रूप में अनुमन्य नहीं है । दृष्टि बाधित व्यक्तियों के लिए, मतदाता सूचना पर्चियाँ सामान्य मतदाता सूचना पर्चियों के साथ ब्रेल सुविधाओं के साथ जारी की जाती है।

मतदान केन्द्र के आस-पास अपना रास्ता जानें
मतदान केन्द्र का मॉडल लेआउट
एकल निर्वाचन (विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र और संसदीय निर्वाचन क्षेत्र)

मतदान अधिकारी 1

मतदाताओं की पहचान करेंगे और ई-रोल चिन्हित प्रति के प्रभारी होंगे।

मतदान अधिकारी 2

अमिट स्याही और मतदाता के हस्ताक्षर

मतदान अधिकारी 3

कंट्रोल यूनिट प्रभारी

मतदान केंद्र का मॉडल लेआउट

एक साथ निर्वाचन (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र और संसदीय निर्वाचन क्षेत्र)

मतदान अधिकारी 1
मतदाताओं की पहचान करेंगे और ई-रोल चिन्हित प्रति के प्रभारी होंगे।

मतदान अधिकारी 2
अमिट स्याही और मतदाता के हस्ताक्षर

मतदान अधिकारी 3
मतदाता पर्ची

मतदान अधिकारी 5
विधान सभा निर्वाचनों के लिए कंट्रोल यूनिट प्रभारी

मतदान अधिकारी 4
लोक सभा के लिए कंट्रोल यूनिट प्रभारी

मतदेय स्थल पर प्रमुख संकेतक और उनके अर्थः

प्राथमिकता पहुँच

विशेष स्वयंसेवक

परिवहन सुविधा

सांकेतिक भाषा

हेल्प डेस्क

व्हीलचेयर के लिए रैम्प

सुलभ शौचालय

संकेतक

मतदाता हेल्पलाइन

ब्रेललिपि युक्त ईवीएम

मतदेय स्थल पर पहचान के प्रमाण के रूप में स्वीकार किए जाने वाले दस्तावेज:

- मतदाता पहचान पत्र (ईपीआईसी)
- बैंक / डाकघर द्वारा फोटोयुक्त पासबुक
- एनपीआर के तहत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड
- आधार कार्ड
- स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड (श्रम मंत्रालय)
- पेंशन दस्तावेज
- विशिष्ट विकलांगता आईडी (यूडीआईडी)
- ड्राइविंग लाइसेंस
- सांसदों / विधान सभा सदस्यों / विधान परिषद सदस्यों को जारी किया गया आधिकारिक पहचान-पत्र
- सेवा पहचान पत्र
- पासपोर्ट
- मनरेगा जॉब कार्ड
- पैनकार्ड

मतदाता प्रक्रिया

मतदाता पंक्ति में खड़े रहते हैं

प्रथम मतदान अधिकारी मतदाता सूची में आपके नाम, आपके आईडी प्रूफ की जांच करता है।

द्वितीय मतदान अधिकारी आपकी अंगुली के नाखून पर अमिट स्याही से निशान लगाता है, पर्ची देता है और आपका हस्ताक्षर लेता है।

तृतीय मतदान अधिकारी पर्ची लेता है और आपकी अंगुली के नाखून पर निशान होने की जांच करता है।

मतदाता वोट डालने के लिये ईवीएम पर अपनी पसंद के उम्मीदवार / नोटा के सामने का बटन दबाता है।
लाल बत्ती जल उठती है।

महत्वपूर्ण नोट !

यदि आपको वीवीपैट में मतदान पर्ची न दिखे या बीप की तेज आवाज न सुनाई दे तो पीठासीन अधिकारी से संपर्क करें।

शीशे में से पर्ची 7 सेकेण्ड के लिए दिखाई देगी। मुद्रित पर्ची वीवीपैट में सुरक्षित रख ली जाएगी।

इनमें से कोई नहीं (नोटा) ई वी एम मशीनों पर अंतिम विकल्प के रूप उपलब्ध रहता है ।

दिव्यांगजन और वरिष्ठ मतदाताओं के लिए ईसीआई द्वारा विस्तारित सुविधाएँ:

- मतदाताओं की सुविधा के लिए भूतल पर मतदान केंद्र
- मतदान केन्द्र पर सुनिश्चित अनुकूल सुविधाएं (जैसे ढाल और पर्याप्त रेलिंग के साथ रैम्प)
- मतदान केन्द्र / प्राथमिकता प्रवेश द्वार पर एक अलग पंक्ति
- मतदान केन्द्र पर व्हीलचेयर की व्यवस्था
- मतदान के दिन पर्याप्त परिवहन की सुविधा
- मतदान केन्द्र पर दिव्यांगता हेतु विशेष मतदान स्वयंसेवक
- प्रवेश द्वार से मतदान कक्ष तक संकेतक, बाधा रहित चौड़ा समतल मार्ग
- ब्रेल में मतदाता सूचना पर्चियाँ(वीआईएस)ईपीआईसी
- ब्रेल में डमी मतपत्र
- ईवीएमएस पर ब्रेल
- कम दृश्यता वाले व्यक्तियों के लिए मैगनिफाइंग लेंस / शीट
- बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्तियों और 85 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए फार्म-12 डी के माध्यम से डाक मतदान सुविधा के विकल्प के लाभ के साथ मतदान की सुविधा।

अपना वोट ईवीएम के माध्यम से डालें

मतदान करने के लिए तैयार

जैसे ही आप मतदान कक्ष में प्रवेश करेंगे, तृतीय मतदान अधिकारी बैलेट यूनिट (बीयू) को चालू करेगा। बैलेट यूनिट की 'रेडी' लाइट जल उठेगी

1

अपना वोट डालें

बैलेट यूनिट पर अपनी पसंद के उम्मीदवार के नाम / प्रतीक चिन्ह / नोटा विकल्प के सामने नीला बटन दबाएं

2

बत्ती देखें

चुने गए उम्मीदवार के नाम / नोटा विकल्प / प्रतीक चिन्ह के सामने की लाल बती जल उठेगी

3

अपने वोट की पुष्टि करें

वीवीपैट मशीन से चुने गए उम्मीदवारों के क्रम संख्या, नाम एवं प्रतीक चिन्ह / नोटा के उल्लेख वाली मतदान पर्ची मुद्रित एवं प्रदर्शित होगी

4

बीप की आवाज सुनें

कंट्रोल यूनिट से आई बीप की ध्वनि से इस बात की पुष्टि होती है कि वोट सफलतापूर्वक डाल दिया गया है

5

दिव्यांगजन (बेंचमार्क दिव्यांगता के साथ) और वरिष्ठ नागरिकों (85 वर्ष से अधिक) के लिए घर से मतदान सुविधा

भारत निर्वाचन आयोग सभी मतदाताओं को बाहर आने और अपने सम्बन्धित मतदान केन्द्रों पर मतदान करने के लिए प्रोत्साहित करता है। हालाँकि, उन लोगों के लिए जो अभी शारीरिक दिव्यांगता या अधिक उम्र के कारणों से वोट नहीं दे सकते हैं, हाल के वर्षों में अनुपस्थित मतदाता (एवी) की अवधारणा पेश की गई है। इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए एक निर्वाचक को बेंचमार्क दिव्यांगता वाला व्यक्ति या 85 वर्ष से अधिक का वरिष्ठ नागरिक होना चाहिए। मतदान सामान्य मतदान तिथि से पहले डाक मतपत्र द्वारा होगा। मतपत्र की पूरी गोपनीयता बनाए रखी जाएगी इसलिए मतपत्र को रिटर्निंग ऑफिसर को सौंपने के लिए दोहरे लिफाफे में सील किया जाएगा।

दिव्यांगजन / वरिष्ठ नागरिक मतदाताओं द्वारा डाक मतपत्र के माध्यम से वोट डालने की पात्रता शर्तें

दिव्यांगजन (एवीपीडी) : एक निर्वाचक जो निर्वाचक नामावली के लिए डेटाबेस में चिन्हित है और जिसके पास दिव्यांगजन के अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 2 के अधीन सम्बन्धित प्रमाणन अधिकारी द्वारा प्रमाणित बेंचमार्क दिव्यांगजन प्रमाण-पत्र (विनिर्दिष्ट विकलांगता का 40% से कम नहीं है) इस श्रेणी के निर्वाचक को फॉर्म 12 में आवेदन जमा करते समय इसके साथ बेंचमार्क दिव्यांगता प्रमाण–पत्र की एक प्रति सलंग्न करनी होगी।

वरिष्ठ नागरिक (एवीएससी) :
85 वर्ष से अधिक आयु का निर्वाचक। आयु का उल्लेख निर्वाचक नामावली डेटाबेस में किया गया है और निर्वाचक को फॉर्म 12 डी के साथ कोई अतिरिक्त प्रमाण-पत्र या वचन-पत्र देने की आवश्यकता नहीं है।

डाक मतपत्र द्वारा अनुपस्थित मतदान के लिए मानक संचालन प्रक्रिया–

चरण 1 : बीएलओ रिटर्निंग अधिकारी द्वारा दिए गए विवरण के अनुसार अनुपस्थित मतदाताओं (85 वर्ष से अधिक आयु और बेंचमार्क दिव्यांगता वाले दिव्यांगजन) के घर जाएंगे और सम्बन्धित मतदाता को फॉर्म 12 डी देंगे और उनसे पावती प्राप्त करेंगे।

चरण 2 : बीएलओ अधिसूचना के 5 दिनों के भीतर उस निर्वाचक के घर से भरा हुआ फॉर्म 12 डी एकत्र करेंगे जिसने इसे चुना है और तत्काल रिटर्निंग अधिकारी के पास जमा करेंगे।

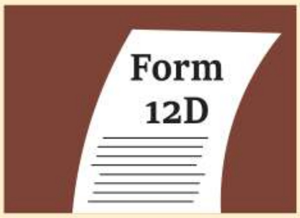

चरण 3 : सभी निर्वाचकों जिनका फॉर्म 12 डी में विवरण सही गया है, उन्हें डाक मतपत्र जारी किया जाएगा। माइक्रो आब्जर्वरों के साथ मतदान अधिकारियों की एक टीम निर्वाचक से उनके फॉर्म 12 डी आवेदन में उल्लिखित पते पर मुलाकात करेगी।

चरण 4 : निर्वाचक की पहचान सत्यापित की जाएगी। निर्वाचक को डाक मतपत्र दिया जाएगा। निर्वाचक अपना मत अंकित करेगा और मतपत्र को एक छोटे लिफाफे में रखेगा।

चरण 5 : अधिकृत मतदान अधिकारी द्वारा सत्यापित फॉर्म 13 ए में विधिवत भरी हुई और हस्ताक्षरित घोषणा, चिन्हित मतपत्र वाले बंद लिफाफे (फॉर्म 13 बी) के साथ बड़े लिफाफे (फॉर्म 13 सी) के अन्दर रखी जाएगी।

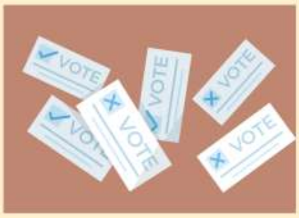

चरण 6 : बड़े लिफाफे को बंद करें उसे चुनाव अधिकारी को सौंप दें।

भारत निर्वाचन आयोग के सुविधा ऐप

डिजिटल युग में मोबाइल ऐप एप्लिकेशन (APPS) संपत्ति हैं। भारत निर्वाचन आयोग के कई विश्वसनीय मोबाइल एप्लिकेशन हैं जिनका उपयोग करना मतदाताओं के लिए उपयोगी और सुविधाजनक होगा। ये एंड्राइड और आईओएस दोनों संस्करणों में उपलब्ध हैं और मुफ्त में डाउनलोड किये जा सकते हैं। यहाँ कुछ ऐसी चीजे हैं जिनका उपयोग दिव्यांगजन और वरिष्ठ नागरिक लाभ के साथ कर सकते हैं।

सक्षम - ईसीआईऐप

सक्षम - ईसीआई ऐप दिव्यांगजन (पी डब्ल्यू डी) के लिए डिजिटल सक्षमकर्ता है।

प्रमुख विशेषताएँ

- निर्वाचक के रूप में पंजीकरण करें।
- दिव्यांगजन अपनी दिव्यांगता को चिन्हित करें।
- सुधार / स्थानांतरण हेतु अनुरोध करना।
- मतदान केन्द्र का स्थान जानें / मतदान अधिकारियों का संपर्क विवरण।
- ले जाने और लाने का अनुरोध / व्हीलचेयर / मतदान केन्द्र पर सहायता।
- निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लेने के दौरान आने वाली किसी भी समस्या के लिए शिकायत दर्ज करें।
- दृष्टिबाधित दिव्यांगजन के लिए आवाज (वाइस) सहायता।
- श्रवणबाधित दिव्यांगजन के लिए पाठ से वाक (टेक्स्ट टू स्पीच) सुविधा।
- बड़े फाण्ट आकार और उच्च विषम रंग।

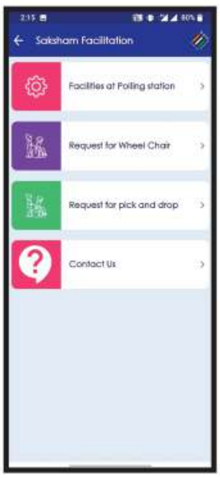

मतदाता हेल्पलाइन ऐप

मतदाता हेल्पलाइन ऐप नामांकन से लेकर चुनाव परिणाम तक सभी निर्वाचन जरूरतों के लिए वन-स्टॉप समाधान है।

प्रमुख विशेषताएँ

- निर्वाचक नामावली में अपना नाम खोजें / पंजीकृत करें।
- जनसांख्यिकीय विवरण में संसोधन का अनुरोध करें।
- सभी प्रकार के बीएसपी फॉर्म भरें और अद्यतन स्थिति प्राप्त करें ।
- आधार को ईपीआईसी से जोड़ें।
- अपनी डिजिटल मतदाता पर्ची डाउनलोड करें।
- शिकायत दर्ज करें।
- निर्वाचन कार्यक्रम / मानचित्र / घोषणाएँ प्राप्त करें।
- डिजिटल फोटो मतदाता पर्ची प्राप्त करें।
- मतदान केन्द्र पर पंक्ति की स्थिति का पता लगाएं।
- उम्मीदवारों का प्रोफाइल जानें।
- ईवीएम और वीवीपैट के उपयोग के बारे में जानें।
- पिछले निर्वाचनों की सांख्यिकीय रिपोर्ट प्राप्त करें।
- मतदाता जागरूकता और प्रशिक्षण वीडियो देखें।
- निर्वाचन परिणाम प्राप्त करें।
- अपना मतदान केन्द्र खोजें।

सीविजिल ऐप

सीविजिल ऐप नागरिकों को निर्वाचन के दौरान आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के प्रमाणिक मामलों की रिपोर्ट करने के लिए सशक्त बनाता है। ऐप टाइम-स्टैम्पिंग,ऑटो लोकेशन सुविधाओं के साथ लाइव फोटो प्रदान करता है जो निर्वाचन मशीनरी को उल्लंघन के स्थान की पहचान करने और उड़नदस्तों को भेजकर त्वरित कार्रवाई करने में मदद करता है। जीआईएस आधारित डैशबोर्ड झूठे और असम्बन्धित मामलों को कार्रवाई से पहले अलग करने और निस्तारण के लिए मजबूत निर्णय हेतु उपकरण प्रदान करता है। सीविजिल ऐप द्वारा दर्ज की गई शिकायतें निर्वाचन पर्यवेक्षक के लिए आब्जर्वर ऐप पर उपलब्ध हैं।

प्रमुख विशेषताएँ

- एप्लिकेशन के स्थान का स्वाचालित रूप से चित्रांकन।
- समय का अंकन।
- ज्ञात और अज्ञात लॉगिन की अनुमति।
- वास्तविक फोटो / विडियो लेने और मोबाइल एप्लिकेशन को जमा करने की सुविधा सिर्फ 5 मिनट में।
- मोबाइल एप्लीकेशन के बाहर फोटो क्लिक नहीं किया जा सकता।
- केवल लाइव वीडियो और फोटो लेने की अनुमति।

चुनाव का पर्व
DESH KA GARV
LOK SABHA ELECTION 2024

voiceofvotersup | ceo_up | ceoup | ceoup